

आदेश(संशोधित)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत रामपुर ने जिला रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवन के निर्माण कार्य को नियन्त्रित करने विषयक उपविधियों अन्तर्गत कार्यालय में प्रबन्धक श्री चरनपाल सिंह पुत्र स्वः श्री हीरा सिंह सोबती नि० 80-ए,माडल टाउन बरेली के द्वारा स्वीकृति हेतु व्यवसाय भवन का मानचित्र दिनांक 12.07.2022 को प्रेषित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसकी अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है। प्रस्तावित मानचित्र जो गाटासं० 47 क्षेत्रफल 0.020 हे०, गाटासं० 66 मि० क्षेत्रफल 0.160 हे०, गाटासं० 67 मि० क्षेत्रफल 0.140, गाटा सं० 106 मि० क्षेत्रफल 0.090 हे०, गाटासं० 113 मि० क्षेत्रफल 0.454 हे०, गाटासं० 140 मि० क्षेत्रफल 0.090 हे० गाटासं० 142 मि० क्षेत्रफल 0.490 हे० एवं गाटासं० 143 मि० कुल क्षेत्रफल 1.671 हेक्टेयर मेसे ब्लाक-ए-12597.08, वर्गमी०, ब्लाक-बी-12029.556 ब्लाक-सी-12029.556 क्लब एरिया 1459.586 वर्गमी०, वेसमेन्ट क्षेत्र. 12,800.147 कवर्ड एरिया 51 नं० प्लांटस 22414.417 वर्गमी० कुल 73,330.270 वर्गमी० मै० यूनिटुथ प्रोजेक्टस प्राईवेट लि० ग्राम डिबडिवा तहसील विलासपुर रामपुर आवासीय /व्यवसायिक भवनों स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है, इस प्रकार मानचित्र संख्या/वर्ष 2022-23 का निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत स्वीकृति दिनांक 29.11.2022 के क्रम में अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी के विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।


- 1-भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिग/भू-अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी की होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 2- संकटमय स्थिति में भवन का निर्माण नहीं होगा।
- 3- स्वीकृत भवन में अत्याधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का संग्रहण, वितरण, उत्पादन का कार्य नहीं होगा।
- 4-मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उस ही प्रयोग में लाया जायेगा।
- 5-स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण किया जा सकें।
- 6-आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत आदेशो/निर्देशों का पालन करना होगा।
- 7-दरवाजे व खिडकिया किसी भी सरकारी भूमि या सड़क की तरफ नहीं खुलेंगी।
- 8-पार्को तथा खुले स्थान में मानको के अनुसार वृक्षारोपण किया जायेगा तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर (बहुमंजिले मकानों के लिये) किसी भी प्रकार का निर्माण/ प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 9-स्वीकृत मकानों का वर्षा/सीवर/नाली के पानी निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेंगे।
- 10- भवन निर्माण भूकम्परोधी मानको के अनुसार करना होगा तथा मानचित्र स्वीकृति तिथि से निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
- 11-कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगो की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 12-स्वीकृत मानचित्र के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हैं अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 13- लेवर विभाग में कार्य का पंजीकरण /लेवर सेस जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ताओं का होगा।
- 14-उक्त स्वीकृति इस उपबन्ध के साथ की जा रही है कि उक्त प्रस्तावित भवन का निर्माण की आईआईटी रुडकी द्वारा प्रस्तावित स्ट्रेचर ड्राइंग के अनुरूप ही कराया जाये विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निर्माणकर्ता होगा।
- 15- रूफटाप वाटरहारवेटिंग सिस्टम का निर्माण सभी ब्लाको में करना अनिवार्य होगा।
- 16- प्रस्तावित प्लानों (51नग) पर रजिस्ट्री के उपरान्त भवन निर्माण मानचित्र जिला पंचायत, रामपुर से स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
- 17- उक्त स्वीकृति इस उपबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है प्रस्तावित निर्माण स्थल चकबन्दी के अभिलेख जो आप द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं चकबन्दी समाप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खाता संख्या/खसरा खतौनी कार्यालय में प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृत हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं भड़काने का स्रोत, अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी एवं किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया है कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुडवाया जा सकता है।

इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं० 01 से 17 तक अकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है एवं भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा प्रदान की जाती हैं।


अभियंता


जिला पंचायत, रामपुर।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रामपुर

पत्रांक 1693/जि०पं०

प्रतिलिपि 1- श्री चरनपाल सिंह पुत्र स्वः श्री हीरा सिंह सोबती नि० 80-ए,माडल टाउन बरेली

दिनांक 11-08-2023


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर।

कार्यालय जिला पंचायत, रामपुर ।

पत्रांक 1314 / जि0पं0

दिनांक 27.10.2023

श्री चरन पाल सिंह सोबती
पुत्र स्व: श्री हीरा सिंह सोबती
निवासी 80ए माडल टाउन, बरेली

आपके पत्र दिनांक 23.09.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय द्वारा स्वीकृत मानचित्र पत्रांक 1693/जि0पं0 दिनांक 11.01.2023 की बैद्यता तिथि 10.01.2026 तक हैं। (विल्डिंग माडल उपविधि 2016 के पैरा 2.14.3 के अनुसार है।)

lms

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर